रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934

No. 503] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 मार्च 2012

का.आ. 581(अ).—क्योंकि, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने उत्पादों या सेवाओं के वार्षिक मूल्य का कम से कम 20 प्रतिशत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपाप्त करेंगे;

और, प्रतिस्पर्धा के साथ सिद्धांतों, साधार उपापन व्यवहारों पर आधारित तथा किसी प्रणाली के अनुसरण में माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए, आदेशों के निष्पादन पर आधारित सार्वजनिक उपापन नीति, स्पष्ट, साम्यपूर्ण, पारदर्शी प्रतियोगी ओर मूल्य प्रभावी होगी; और

और सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति मजबूत अधिप्राप्ति व्यवहारों और आदेशों का पालन करते हुए आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बरकरार रखने के केंद्रीय सिद्धांतों और एक निष्पक्ष, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत सक्षम व्यवस्था के अनुरूप उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के क्रियान्वयन पर आधारित है;

और चूंकि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन और विकास सुकर बनाने करने के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार समय-समय पर यथास्थिति, आदेश द्वारा अपने मंत्रालयों या विभागों, पब्लिक सेक्टर अधिमानी, या उसके सहायता प्राप्त संस्थानों और यथास्थिति, के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में अधिमानी नीतियों को अधिसूचित कर सकेगी।

अतः, अब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अपने मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित और प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के उपापन के संबंध में सार्वजनिक उपापन नीति (जिसे इसमें इसके पश्चात कहा गया है) को अधिसूचित करती है।

2. संक्षिप्त नाम और आरंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति आदेश, 2012' है ।

(2) ये 1 अप्रैल 2012 से लागू होगी।

3. सूक्ष्म और लघु उद्यम से आज्ञापन उपापन - (1) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम को वित्तीय वर्ष 2012-13 और उसके पश्चात से तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदों के न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन प्राप्त करने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन का एक वार्षिक लक्ष्य नियत करेगा।

(2) उपापन के वार्षिक लक्ष्य के अंतर्गत बड़े उद्यमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम के संघ की उप-संविदाएं भी हैं।

(3) तीन वर्षों की अवधि के पश्चात अर्थात् 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 20 प्रतिशत का कुल उपापन लक्ष्य आज्ञापक होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, जो वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहते हैं, को इस नीति के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष इसके उचित कारण सिद्ध करने होंगे।

4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष उपबंध- सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक उपापन के 20 प्रतिशत लक्ष्य में से, 20 प्रतिशत का एक उप-लक्ष्य (अर्थात 20 प्रतिशत में से 4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए चिह्नित होंगे। परंतु, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेंडर की अपेक्षाओं को पूरा करने और एल-1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत का उप-लक्ष्य अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा करना होगा।

5. वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्यों की रिपोर्टिंग - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम से सरकारी उपापन के आंकड़े इस नीति के सशक्तीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम से किए जाने वाले उपापन के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उसमें की गई उपलब्धि की सूचना अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देगें।

(2) वार्षिक रिपोर्टसूचना सूक्ष्म और लघु उद्यम विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या ब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम को प्रदान किया जा रहा समर्थन की बेहतर समझ में सुकर बनाएगा।

6. निविदा में मूल्य कोटेशन - (1) टेंडर में, सहभागी सूक्ष्म और लघु उद्यम जिसने एल1+15 प्रतिशत के मूल्य बैंड के भीतर निविदा मूल्य उद्धत करेंगे उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां एल1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हो, वहां उनके मूल्य को एल1 मूल्य

के स्तर पर लाकर एक भाग की आपूर्ति की अपेक्षाओं की अनुमति भी दी जाएगी और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति की अनुज्ञात होगी।

(2) ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम के मामले में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से बांटा (निविदा की गई मात्रा तक) जाएगा।

7. सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास - केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए और आवधिक आवश्यकताओं के संबंध में एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ दर अनुबंध करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगें।

8. वेबसाइट पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों से उपापन के लिए वार्षिक योजना - मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रय के लिए वार्षिक उपापन योजना भी तैयार करेंगे और उसे अपने शासकीय वेबसाइट पर अपलोड भी करेंगे ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यम उपापन अभिकरणों की अपेक्षाओं के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त कर सकें।

9. सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, की भागीदारी बढ़ाना - सरकारी उपापन में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विभागों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा संघ निर्माण की उसकी योजनाओं के अधीन पहुंच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंग; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने एकल बिंदु रजिस्ट्रीकरण योजना के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष खिड़की खोलेगा।

10. संव्यवहार लागत में कमी - व्यवसाय चलाने की संव्यवहार लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किसी लागत के बिना निविदा सेट उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई-उपापन अपनाकर तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करके सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

11. उपापन के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण - विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में, देश में उद्यमों को एक व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए, केंद्रीय मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों (अनुबंध-ख)का उपापन जारी रखेगा, जो उनसे

विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों जिसके अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग भी है, के संवर्धन और विकास में मदद मिलेगी, जो देश में समग्र विकास को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

12. पुनर्विलोकन समिति - (1) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक उपापन नीति की मानीटरी और पुनर्विलोकन के लिए सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की अध्यक्षता के अधीन आदेश सं 21(1)/2007-एमए तारीख 21 जून 2010 के द्वारा (उपाबंध) एक समिति गठित होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समिति की संरचना में की जब और जैसे अपेक्षित हो, पुनर्विलोक / उपारिक्त करेगा।

(2) यह समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अनवरत आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से अनन्य खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची पुनर्विलोकन करेगी, मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत लक्ष्य से छूट के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करेगी और नीति के अधीन उपलब्धियों की मानीटरी करेगी।

13. शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना - इसके अतिरिक्त, सरकारी उपापन में सूक्ष्म और लघु उद्यम की शिकायतों के प्रतितोष के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में एक 'शिकायत प्रकोष्ठ' गठित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में संबंधित विभागों / एजेंसियों के सामने सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उठाए गए सरकारी उपापन संबंधी मुद्दे उठाए जाएंगे, जिसके अंतर्गतें सरकारी विभागों / एजेंसियों द्वारा निविदाओं में अनुचित शर्तों को लगाना भी है, जो सूक्ष्म और लघु उद्यम को अलाभप्रदा स्थिति में रखते हैं।

14. रक्षा उपापन के लिए विशेष प्रावधान - (1) रक्षा मंत्रालय के लिए हेतु 20 प्रतिशत के लक्ष्य की गणना में रक्षा शस्त्रीकरण की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए उनके आयात को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा उपकरणों जैसे शस्त्र प्रणालियां, प्रक्षेपास्त्र, आदि आरक्षण की ऐसी नीति के अधीन नहीं होगी।

(2) नीति के अधीन नियत लक्ष्यों का मानीटरी जहां तक रक्षा सेक्टर का संबंध है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं उनके द्वारा स्थापित उपयुक्त प्रक्रियाओं के अनुसरण की जाएगी।

15. कठिनाई का निवारण - उपरोक्त नीति के कार्यान्वयन के दौरान अनुभव की गई किसी कठिनाई के संबंध सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्रेस रिलीज के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाएगा और जिसे पब्लिक डोमिन में रखा जाएगा।

[फा.सं. 21(1)/2011-एमए]

अमरेन्द्र सिन्हा, अपर सचिव और विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)

अनुबंध

सं. 21(1)/2007-एमए

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आयुक्त(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)का कार्यालय

ए विंग, 7 वां तल, निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110108
तारीख : 21 जून, 2010

आदेश

विषय: सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति के अधीन समिति का गठन

सूक्ष्म और लघु उद्यम (सूक्ष्म और लघु उद्यम) के लिए नई सार्वजनिक उपापन नीति के लम्बित अनुमोदन के अनुक्रम में स्थापित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों के संबंध में प्रस्तावित नीति के कुछ उपबंधो के लागू करने पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति की अध्यक्षता सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

2. समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:

(i) सचिव, सू. ल. और म. उद्यम मंत्रालय	: अध्यक्ष
(ii) सचिव, योजना आयोग	: सदस्य
(iii) सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	: सदस्य
(iv) महानिदेशक (आपूर्ति और निपटान), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	: सदस्य
(v) अपर सचिव एवं विकास आयुक्त(सू. ल. म उद्यम)	: सदस्य-सचिव

3. समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

indiacode

(i) मामला-दर-मामला आधार पर 20 प्रतिशत के लक्ष्य से छूट देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अनुरोधों पर विचार करना;

(ii) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सूक्ष्म और लघु उद्यम से विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची (परिशिष्ट के अनुसार) की समीक्षा;

(iii) सरकारी विभागों / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निकाली गई निविदाओं में अनुचित शर्तें लगाने सहित सरकारी उपापन के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा; और

(iv) केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम से की जाने वाले उपापनों को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।

4. समिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के किन्हीं अन्य मंत्रालयों / विभागों को सम्मिलित कर सकती है या बैठकों में किसी अन्य विशेषज्ञ / व्यक्ति, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित हो, को जब भी आवश्यक हो आमंत्रित कर सकती है।

5. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) का कार्यालय इस समिति को सचिवीय समर्थन उपलब्ध करेगा।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(प्रवीण महतो)
अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार
दूरभाष: 23062230, फैक्स: 23061611

Indiacode

परिशिष्ट

हस्तशिल्प क्षेत्र सहित लघु उद्योग इकाइयों से खरीद के लिए आरक्षित मदों की सूची

क्रम सं. मद विवरण

1. ए ए स्टि/और ए सी एस आर कन्डक्टर 19 स्ट्रैंड तक
2. एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स
 क. हस्तप्रचालित औजार और उपकरण
 ख. पशुचालित उपकरण
3. एयर/रूम कूलर
4. एल्यूमिनियम बिल्डर्स हार्डवेयर
5. एम्बुलेंस स्ट्रेचर
6. एममीटर्स / ओहम मीटर / वोल्ट मीटर(क्लास1 परिशुद्धता तक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक)
7. एंकलेट वेब खाकी
8. ऑगुर (कारपेंटर्स)
9. आटोमोबाइल हैड लाईट एसेम्बली
10. बैज क्लाथ कढ़ाई और मेटल के
11. लेदर, काटन, कैनवस और जूट इत्यादि के बने सभी प्रकार के बैग किट बैग, मेल बैग, स्लीपिंग बैग और वाटर प्रूफ बैग सहित
12. बैन्डेज क्लाथ
13. बारबेड वायर
14. बास्केट केन (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी खरीद की जा सकती है)
15. बाथ टब
16. बैटरी चार्जर
17. बैटरी एलीमिनेटर
18. बीम स्केल (1.5 टन तक)
19. बेल्ट लैदर एंड स्ट्रैप्स
20. बैन्च वाइसिस
21. बिटुमिनीअस पेंटस
22. ब्लोटिंग पेपर

IndiaCode

23.बोल्ट्स एंड नटस
24.बोल्ट्स स्क्रार्इंडिंग
25.बोन मील
26.बूट पालिश
27.कैनवस ज़ूते सहित सभी प्रकार के बूटस एंड शूज
28.बाउल
29.लैदर बाटल
30.मैटल के बने बाक्स
31 ब्रासिस
32.ब्राकेटस, रेलवे में प्रयुक्त के अलावा
33.ब्रास वाक
34.ब्रीफकेस (मोल्डेड लगेज के अलावा)
35.झाड़ू
36.सभी प्रकार के ब्रश
37.सभी प्रकार की बाल्टियां
38.सभी प्रकार के बटन
39.केंडल वैक्स कैरिज
40.केन वाल्व/स्टोक वैल्वस (केवल वॉटर फिटिंग के लिए)
41.कैमालिक कैन (दूध और पानने के लिए)
42.कैनवस प्रोडक्टस
(क) वाटर प्रूफ डेलिवर बैग, स्पे. नं. आई एस-1422/70
(ख) बोनट कवर और रेडियटर स्पे.ट्रे एल बी 7/ एन एस एन / आई ए / 130295
43 सूती और ऊनी कैप्स
44.वाटरप्रूफ कैप्स
45.कैस्टर आयल
46.सीलिंग रोसिस 15 एम्पी तक
47.सेन्ट्रीफुगल स्टील प्लेट क्लोतर्स
48.सेन्ट्रीफुगल पंप
49.चाफ कटर ब्लेड
50.चेन लार्षिंग
51.चप्पल एंड सैंडिल
52.चामोइस लैदर
53. चोकिंग कोर लाईट फीटिंग
54.क्रोम टैन्ड लैदर (सेमी-फिनिश्ड शैंस और गाय)
55.सरक्लिप्स
56.क्लॉ बार्स एंड वायर्स
57.क्लीनिंग पाउडर
58.क्लीनिकल थर्मोमीटर्स
59.क्लाथ कवर्स

IndiaCode

60.क्लाथ जाकोनट
61.क्लाथ स्पोन्ज
62.कॅयर फाइबर एंड कॅयर यार्न
63.कॅयर मैटरैस कुशन्स एंड मैटिंग
64.कॅयर रोप हॅसरलेड
65.कम्युनिटी रेडियो रिसीवर
66.,कन्डुट पाईप्स
67.कॉपर नेल
68.कॉपर नैपथीनेट
69.कॉपर सलफेट
70.कॉर्ड टवीन मेकर
71.कॉरडेज अदर्स
72.कोरूगेटिड पेपर बोर्ड एंड बाक्स
73.कॉटन एबसोरबेंट
74.कॉटन बेल्टस
75.कॉटन कैरियर्स
76.कॉटन केसिस
77.कॉटन कार्ड टवीन
78.कॉटन हौजरी
79.कॉटन पैक्स
80.कॉटन पाउच
81.कॉटन रोप
82.कॉटन सिंगलेट
83.कॉटन स्लींग
84.कॉटन स्ट्रैप्स
85.कॉटन टैप्स एंड लेसिस
86.कॉटन वूल (नॉन एब्जार्बेंट)
87.क्रेट वुडन एंड प्लास्टिक
88.(क)क्रूसीबल्स 200 नं. तक
(ख)क्रूसीबल्स ग्रेफाईट 500 नं. तक
(ग)अन्य क्रूसीबल्स 30 कि.ग्रा.तक
89.कम्बल एंड रजाईयां
90.करटेन्स मोसकीटो
91.कटर्स
92.डीबूटी फिथालेट
93.डीजल इंजन 15 एच पी तक
94.डाइमेथाइल फिथालेट
95.डिसइफैक्टैन्ट फलूड
96.डिस्ट्रीब्यूटिशन बोर्ड 15 एम्पी तक

IndiaCode

97. घरेलू बिजली के उपकरण (बीआईएस मानकों के अनुसार)- बिजली का टोस्टर,प्रैस, हॉट प्लेटस, मिक्सर ग्राइंडर रूम हीटर, कनवैक्टर्स एंड ओवन
98. घरेलू पी वी सी केबल्स एंड वायर्स (अल्यूमिनियम)
निर्धारित बीआईएस मानकों के अनुरूप और 10.00 एमएम स्क्वायर नॉमिनल क्रास सेक्शन तक
99. ड्राईंग एंड मैथमैटिकल्स इंन्स्ट्रूमेंटस
100. ड्रम्स एंड बैरल
101. डस्ट बिन
102. डस्ट शील्ड लैदर
103. सभी प्रकार के कॉटन डस्टर, खादी में आवश्यक मदों को छोड़कर
104. डाईज
(क)एजो डाई(डायरैक्ट और एसिड)
(ख) बेसिक डाई
105. बिजली की कॉल बैल / बजर / डोर बैल
106. इलैक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन
107. इलैक्ट्रिक ट्रांसमीशन लाईन हार्डवेयर मदें जैसे कि स्टील क्रास बार्स, क्रास आर्म्स क्लैम्पस आर्चिंग हार्न, ब्रैकेट्स, आद
108. इलैक्ट्रोनिक डोर बैल
109. एमरजेंसी लाईट (रिचार्ज होने वाली)
110. इनेमल वायर्स और इनेमल यूटेंसिल
111. इक्यूपमेंट कैमूक्लेज बम्बू सपोर्ट
112. एक्जास्ट मफलर
113. एक्सपैंडिड मेटल
114. आईलेट्स
115. फिल्म पॉलीथीन-वाइड विड्थ फिल्म सहित
116. फिल्म स्पूल्स एंड कैन्स
117. अग्नि शामक (बाल टाइप)
118. फूट पाउडर
119. फ्रैन्च पॉलिश
120. फानैल्स
121. फयूज कट आउट
122. फ्यूज यूनिट
123. गारमेंटस (इंडियन आर्डनेन्स फैक्टरियों की आपूर्ति को छोड़कर)
124. गैस मेन्टल
125. गाउज क्लाथ
126. सभी प्रकार के गाउज सरजीकल
127. गामेल्स (तसला)
128. ग्लास एम्पुल्स
129. ग्लास एंड प्रेस्ड वेयर

IndiaCode

130. ग्लू
131. ग्रीस निप्पल्स एंड ग्रीस गन्स
132. गन केसिस
133. गन मेटल बुश
134. गमटेप
135. सभी प्रकार के हैंड ड्रॉन काट्र्स
136. सभी प्रकार के हैंड ग्लब्स
137. हैंड लैम्प्स रेलवे
138. हैंड नम्बरिंग मशीन
139. हैंड पाउंडिड राईस (पॉलिश और बिना पॉलिश किए हुए)
140. हैंड प्रेसेस
141. हैंड पम्प
142. सभी प्रकार के हैंड टूल्स
143. हैंडल वुडन एंड बैम्बू (राज्य वन निगम और राज्य हस्तशिल्प निगम से भी अधिप्राप्ति की जा सकती है)
144. हारनेस लैदर
145. हस्पस एंड स्टैप्लस
146. हैवर सैक्स
147. हेलमेट नॉन-मेटालिक
148. सभी प्रकार के हाईड एंड कंट्री लैदर
149. हिंग्स
150. हॉब नेल्स
151. होल्डाल
152. हनी
153. हॉर्स एंड मूल शूज
154. हाइड्रोलिक जैक्स 30 टन कैपिसिटी से कम
155. इंसैक्टीसाईड डस्ट एंड स्पेयर्स(केवल मैनुअल)
156. इनवैलिड व्हील चेयर
157. घरेलू प्रकार के इंवर्टर 5 के वी ए तक
158. इस्त्री (धोबी)
159. की-बोर्ड वुडन
160. किट बाक्स
161. कोदाली
162. लेस लैदर
163. लैम्प होल्डर
164. लैम्प सिंग्नल
165. लालटेन पोस्ट एंड बॉडीज
166. लैनयार्ड
167. लेटेक्स फोम स्पंज

IndiaCode

168. लाठी
169. लैटर बाक्स
170. लाईटिंग अरेस्टर 22 के वी तक
171. लिंक क्लिप
172. लिनसीड आयल
173. लिंट प्लेन
174. लॉकर्स
175. लुब्रीकेटर्स
176. एल टी पोरसीलेन किटकेट एंड फयूज ग्रिप
177. मशीन स्क्रूय्स
178. मैग्निशियम सल्फेट
179. मैलेट वूडन
180. मैनहोल कवर्स
181. मेज़रिंग टेप्स एवं स्टिक्स
182. मैटलक्लैड स्विचिज (30 एम्पलीफायर्स तक)
183. मैटल पोलिश
184. मैटालिक कन्टेनर्स एंड ड्रम्स अदरदैन एन बी सी (नोट एल्सवियर क्लासिफाईड)
185. मीट्रिक व्हेट्स
186. माइक्रोस्कोप फोर नोर्मल मैडीकल यूज़
187. मिनिएचर ब्लब्स (फोर टार्चिज़ ओनली)
188. एम.एस. टाई बार्स
189. नेल कटर्स
190. नेप्थलिन बाल्स
191. नीवाड़
192. निक्कल सल्फेट
193. नाइलॉन स्टॉकिंग
194. नाइलॉन टेप्स एंड लेसिज़
195. आयल बाउंड डिस्पेम्पर
196. आयल स्टोव्स (विक स्टोव्स ओनली)
197. पैड लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स
198. पेंट रिमूवर
199. पाल्मा रोज़ा आयल
200. पॉमगुर
201. पैन्स लेवोटरी फ्लश
202. पेपर कन्वर्जन प्रोडक्टस, पेपर बैग्स, एनवलप्स, आइसक्रीम कप, पेपर कप एंड सोसर्स एंड पेपर प्लेट्स
203. पेपर टेप्स (गम्ड)
204. पापड़
205. पिकल्स एंड चटनी
206. पाइल्स फैबरिक
207. पिल्लौ
208. प्लास्टर ऑफ पेरिस

IndiaCode

209. प्लास्टर ब्लौ मोल्डिड कन्टेनर्स अप टू 20 लिटर एक्सक्लूडिंग पोलि इथलिन टर्फथलेट (पी ई टी) कन्टेनर्स
210. प्लास्टिक केन
211. प्लेईंग कार्डस
212. प्लग एंड सॉकेट इलैक्ट्रिक अप टू 15 एम्पलीफायर
213. पोलिथिन बैग्स
214. पोलिथिन पाईप्स
215. पोस्ट पिकेट (यूडन)
216. पोस्टल लैड सील्स
217. पोटेसियम नाईट्रेट
218. पाऊच
219. प्रेशर डाई कास्टिंग अप टू 0.75 किलोग्राम
220. प्रिवी पैन्स
221. पुल्ली बायर
222. पी वी सी फुटवियर
223. पी वी सी पाइप्स अपटू 110 मि.मी.
224. पीवीसी इंशुलेटिड एल्युमिनियम केबल्स (120 स्केयर मि.मी. तक) (आई एस एस: 694)
225. क्विल्टस, रजाई
226. रैग्स
227. रेलवे कैरिज लाईट फिटिंग्स
228. रेक्स ब्लॉस्ट
229. रेज़र
230. आरसीसी पाईप अपटू 1200 मि.मी. डाया
231. आर सी सी पोल्स प्रिस्ट्रेस्ड
232. रिवेट ऑफ ऑल टाईप्स
233. रोलिंग शटर्स
234. रूफ लाईट फिटिंग
235. रबड़ बैलून
236. रबड़ कोर्ड
237. रबड़ होसिस (अनब्रांडिड)
238. रबड़ टयूबिंग (एक्सक्ल्यूडिंग ब्रेडिड टयूबिंग)
239. रबराईज्ड गारमेंट कैप एंड कैप्स, एट.
240. रस्ट/स्केल रिमूविंग कम्पोजिशन
241. सेफ मीट एंड मिल्क
242. सेफ्टी मैचिज
243. सेफ्टी पिन्स(एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट लाईक पेपर पिन्स, रटेपल्स पिन्सए एट.
244. सैनेटरी प्लम्बिंग फिटिंग
245. सैनेटरी टावल्स
246. साइन्टीफिक लेवोरेटरी ग्लास वियर (बारिंग साफीस्टिकेटिड आइटम)
247. सिज़र कटिंग (आर्डिनरी)
248. स्क्रूव्ज ऑफ ऑल टाइप इन्कलुडिंग हाई टेन्साईल

IndiaCode

249. शीप स्किन आल टाइप
250. शेलक
251. शू लेसिज़
252. शावेल्स
253. साइन बोर्ड पेन्टिड
254. सिल्क रिबन
255. सिल्क यैर्बिंग
256. स्काईबूटस एंड शूज
257. स्लयूज वाल्वज
258. स्नेपफास्टनर (एक्सक्लूडिंग 4 पीसीएस. वन्स)
259. सोप कार्बोलिक
260. सोप कर्ड
261. सोप लिक्विड
262. सोप साफ्ट
263. सोप वाशिंग ओर लॉन्डरी सोप
264. सोप येल्लो
265. सॉकेट/पाइप
266. सोडियम नाइट्रेट
267. सोडियम सिलिकेट
268. सोल लैदर
269. स्पेक्टेकल फ्रेम्स
270. स्पाईक्ड बूट
271. स्पोर्टस शूज मेड आउट ऑफ लैदर (फोर आल स्पोर्टस गेम्स)
272. स्कर्वल केज इंडक्शन मोटर्स अप टू एंड इन्कलूडिंग 100 किलो वाट 44 वोल्ट 3 फेस
273. स्टेपलिंग मशीन
274. स्टील अलमिरा
275. स्टील बैड स्टैड
276. स्टील चेयर
277. स्टील डैस्क
278. स्टील रैक्स/शैल्फ
279. स्टील स्टूल्स
280. स्टील ट्रंक
281. स्टील वूल
282. स्टील एंड एल्युमिनियम विन्डो एंड वैंटिलेटर
283. स्टाकिनेट
284. स्टोन एंड स्टोन क्वैरी रोलर
285. स्टोन वियर जार
286. स्ट्रैंडिड वायर
287. स्ट्रीट लाइट फिटिंग
288. स्टूडैंट माइक्रोस्कोप
289. स्टड (एक्सक्लूडिंग हाई टैंसाइल)

IndiaCode

290. सर्जिकल ग्लोव्स (एक्सैप्ट प्लास्टिक)
291. टेबल नाइव्स (एक्सक्लूडिंग कटलरी)
292. टेक मैटलिक
293. टैप्स
294. तारपोलिन
295. टीक फैब्रेकेटिड राउंड ब्लॉक्स
296. टैन्ट पोल्स
297. टैन्टेज सिविल / मिलिट्री एंड सेलिताह जूट फोर टैन्टेज
298. टैक्सटाइल मैन्युफैक्चर्रस अदर दैन एन. ई. सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
299. टाइल्स
300. टिन बॉक्सिज फोर पोस्टेज स्टैम्प
301. टिन केन अनप्रिंटिड अप टू 4 गैलन कैपेसिटी (अदर दैन केन ओ.टी.एस.)
302. टिन मैस
303. टिप बूटस
304. टोग्गल स्विचज
305. टायलेट रोल्स
306. ट्रांस्फार्मर टाइप वैल्डिंग सैटस कंफोरमिंग टू आई एस: 1291/75 (अप टू 600 एम्पीऐफायर)
307. ट्रांजिस्टर रेडियो अप टू 3 बैंड
308. ट्रांजिस्ट्राईज्ड इसुलेशन-टैस्टर
309. ट्रेज
310. ट्रे फोर पोस्टल यूज
311. ट्रॉलि
312. ट्रालि-ड्रिंकिंग वाटर
313. टयूबलर पोल्स
314. टायर एंड टयूब (साइकिल)
315. अम्ब्रेला
316. यूटैंसिल ऑल टाइप्स
317. वाल्व मैटलिक
318. वार्निश ब्लॅक जापान
319. वोल्टेज स्टैबलाइजर इन्कलूडिंग सी.वी.टी.
320. वाशर आल टाइप्स
321. वाटर प्रूफ कवर
322. वाटर प्रूफ पेपर
323. वाटर टैंक अप टू 15,000 लिटर कैपेसिटी
324. वैक्स सीलिंग
325. वैक्सड पेपर
326. वेईंग स्केल
327. वैल्डिड वायरमाश
328. व्हील बारोस
329. विसल
330. विक्स कोटन

IndiaCode

331. विंग शील्ड वाइपर (आर्मस एंड ब्लेडस ओनली)
332. वायर ब्रसिज एंड फाइबर ब्रसिज
333. वायर फेन्सिंग एंड फिटिंग
334. वायर नेल्स एंड होर्स शू नेल्स
335. वायर नेटिंग्स ऑफ गौज थिकर दैन 100 मेश साईज
336. वूड वूल
337. वूडन एम्युनिशन बॉक्सीज
338. वूडन बोर्डस
339. वूडन बॉक्स फोर स्टैम्पस
340. वूडन बॉक्सीज एंड केसिज एन.ई.सी. (नोट एल्सवियर क्लासीफाइड)
341. वूडन चेयर्स
342. वूडन फ्लश डोर शटर्स
343. वूडन पैकिंग केसिज आल साईजिज
344. वूडन पिन्स
345. वूडन प्लग्स
346. वूडन शैल्वज
347. वूडन वेनियर्स
348. वूलन हौजरी
349. जिंक सल्फेट
350. जिप फास्टनर

हैंडीक्राफ्ट आयटम्स

क्रम सं.	वस्तु विवरण	आपूर्ति का स्रोत
351.	केन फर्नीचर	नोर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमैंट कारपोरेशन असम गवर्नमैंट मार्किटिंग कोरपोरेशन क्राफ्ट सोसाइटी ऑफ मणिपुर नागालैंड हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमैंट कारपोरेशन
352.	बेम्बू फाइल ट्रे, बास्केट, पैंसिल स्टेंड, साईड रैक एट.	-वही-
353.	आर्टिस्टिक वूडन फर्नीचर	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कोरपोरेशन, उत्तर प्रदेश एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन
354.	वूडन पेपर वेट, रैक्स एट.	-वही-
355.	ग्लास कवर्स मेड ऑफ वूड एंड ग्रास जूट	-वही-
356.	जूट फर्नीचर	वैस्ट बंगाल हैंडीक्राफ्ट डेवलेपमैंट कोरपोरेशन जूट मैन्युफैक्चरिंग डेवलेपमैंट कोरपोरेशन उड़ीसा स्टेट हैंडीक्राफ्टस डेवलपमैंट कोरपोरेशन
357.	जूट बैग्स, फाइल कवर	-वही-
358.	वूलन एंड सिल्क कारपेटस	यू पी एक्स्पोर्ट कोरपोरेशन जे एंड के सेल एंड एक्सपोर्ट कोरपोरेशन

IndiaCode

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 23rd March, 2012

ORDER

S.O. 581(E).—Whereas, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall procure minimum of 20 per cent of their annual value of goods or services from Micro and Small Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy shall apply to Micro and Small Enterprises registered with District Industries Centers or Khadi and Village Industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicrafts and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises;

And whereas, the Public Procurement Policy rests upon core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective; and

And whereas, for facilitating promotion and development of micro and small enterprises, the Central Government or the State Government, as the case may be, by Order notify from time to time, preference policies in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries or Departments, as the case may be, or its aided institutions and public sector enterprises.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred in section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notifies the Public Procurement Policy (hereinafter referred to as the Policy) in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings.

2. Short title and commencement. -

(1) This Order is titled as 'Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012'.

(2) It shall come into force with effect from 1st April 2012.

3. Mandatory procurement from Micro Small and Enterprises. – (1) Every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 per cent, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years.

(2) Annual goal of procurement also include sub-contracts to Micro and Small Enterprises by large enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation.

(3) After a period of three years i.e. from 1st April 2015, overall procurement goal of minimum of 20 per cent shall be made mandatory.

(4) The Central Ministries, Departments and Public Sector Undertakings which fail to meet the annual goal shall substantiate with reasons to the Review Committee headed by Secretary (Micro, Small and Medium Enterprises), constituted in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, under this Policy.

4. Special provisions for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes. % Out of 20 per cent target of annual procurement from Micro and Small Enterprises, a sub-target of 20 per cent (i.e., 4 per cent out of 20 per cent) shall be earmarked for procurement from Micro and Small Enterprises owned by the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe entrepreneurs. Provided that, in event of failure of such Micro and Small Enterprises to participate in tender process or meet tender requirements and L1 price, 4 per cent sub-target for procurement earmarked for Micro and Small Enterprises owned by Scheduled Caste or Scheduled Tribe entrepreneurs shall be met from other Micro and Small Enterprises.

5. Reporting of targets in Annual Report. % (1) The data on Government procurements from Micro and Small Enterprises is vital for strengthening the Policy and for this purpose, every Central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall report goals set with respect to procurement to be met from Micro and Small Enterprises and achievement made thereto in their respective Annual Reports.

(2) The annual reporting shall facilitate in better understanding of support being provided by different Ministries or Departments or Public Sector Undertakings to Micro and Small Enterprises.

6. Price quotation in tenders. % (1) In tender, participating Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15 per cent shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprise and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply up to 20 per cent of total tendered value.

(2) In case of more than one such Micro and Small Enterprise, the supply shall be shared proportionately (to tendered quantity).

7. Developing Micro and Small Enterprise vendors. – The Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall take necessary steps to develop appropriate vendors by organizing Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets and entering into Rate

Contract with Micro and Small Enterprises for a specified period in respect of periodic requirements.

8. Annual Plan for Procurement from Micro and Small Enterprises on websites. – The Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall also prepare Annual Procurement Plan for purchases and upload the same on their official website so that Micro and Small Enterprises may get advance information about requirement of procurement agencies.

9. Enhancing participations of Micro and Small Enterprises including those owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurements. % For enhancing participation of Scheduled Castes or Scheduled Tribes in Government procurement, the Central Government Ministries, Departments and Public Sector Undertakings shall take following steps, namely:-

(a) Special Vendor Development Programmes or Buyer-Seller Meets shall be conducted by Departments/Public Sector Undertakings for Scheduled Castes or Scheduled Tribes;

(b) Outreach programmes shall be conducted by National Small Industries Corporation to cover more and more Micro and Small Enterprises from Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its schemes of consortia formation; and

(c) National Small Industries Corporation shall open a special window for Scheduled Castes or Scheduled Tribes under its Single Point Registration Scheme (SPRS).

10. Reduction in transaction cost. % To reduce transaction cost of doing business, Micro and Small Enterprises shall be facilitated by providing them tender sets free of cost, exempting Micro and Small Enterprises from payment of earnest money, adopting e-procurement to bring in transparency in tendering process and setting up a Grievance Cell in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

11. Reservation of specific items for procurement. % To enable wider dispersal of enterprises in the country, particularly in rural areas, the Central Government Ministries or Departments or Public Sector Undertakings shall continue to procure 358 items (Appendix) from Micro and Small Enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them. This will help in promotion and growth of Micro and Small Enterprises, including Khadi and village industries, which play a critical role in fostering inclusive growth in the country.

12. Review Committee. – (1) A Review Committee has been constituted under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, for monitoring and review of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises vide Order No. 21(1)/2007-MA dated the 21st June 2010 (Annexure).

(2) This Committee shall, inter alia, review list of 358 items reserved for exclusive purchase from Micro and Small Enterprises on a continuous basis, consider requests of the Central Ministries or Departments or Public Sector Undertakings for exemption from 20 per cent target on a case to case basis and monitor achievements under the Policy.

13. Setting up of Grievance Cell. % In addition, a 'Grievance Cell' will be set up in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for redressing grievances of Micro and Small Enterprises in Government procurement. This cell shall take up issues related to Government procurement raised by Micro and Small Enterprises with Departments or agencies concerned, including imposition of unreasonable conditions in tenders floated by Government Departments or agencies that put Micro and Small Enterprises at a disadvantage.

14. Special Provisions for Defence Procurements. % Given their unique nature, defence armament imports shall not be included in computing 20 per cent goal for Ministry of Defence. In addition, defence equipments like weapon systems, missiles, etc. shall remain out of purview of such Policy of reservation.

15. Monitoring of Goals. % The monitoring of goals set under the Policy shall be done, in so far as they relate to the Defence sector, by Ministry of Defence itself in accordance with suitable procedures to be established by them.

16. Removal of difficulty. % Any difficulties experienced during the course of implementation of the above Policy shall be clarified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises through suitable Press releases which would be kept on the public domain.

[F.No. 21(1)/2011-MA]

AMARENDRA SINHA, Additional Secretary and Development Commissioner (MSME)

ANNEXURE

No. 21(1)/2007-MA

Government of India

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Office of the Development Commissioner (MSME)

'A' Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan,

New Delhi-110108

Dated: 21st June, 2010

ORDER

Subject: Constitution of a Committee for monitoring and

review of the Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises

Pending approval of the new Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs), a Committee is hereby constituted for looking into the applicability of some of the provisions of the proposed Policy in respect of select Central Ministries/Departments.. The Committee will be chaired by the Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

2. The composition of the Committee will be as follows:

(i) Secretary, Ministry of MSME : Chairman

(ii) Secretary, Planning Commission : Member

(iv) Secretary, Department of Public Enterprises : Member

(v) Director General (Supplies and Disposals), Department of Commerce, : Member

(vii) Ministry of Commerce and Industry

(viii) Additional Secretary and Development Commissioner (MSME) : Member Secretary

3. The Committee will undertake the following functions:

(i) Consider the requests of the Central Ministries/ Departments/PSUs for exemption, on a case to case basis, from the 20% target;

(ii) Review the list of 358 items (as per Appendix) reserved for exclusive purchase from the MSEs based on the feedback received from the Central Ministries/Departments/PSUs ;

(iii) Review the grievances received from MSEs regarding Government procurement, including imposition of unreasonable conditions in the tenders floated by the Government Departments/PSUs; and

(iv) Suggest special measures to be taken by the Central Ministries/Departments for enhancing their procurements from MSEs.

4. The Committee may co-opt any other Ministries/ Departments of the Central Government as well as State Governments or invite any other expert/person associated/ concerned with the MSMEs in its meetings, as and when required.

5. The Office of the Development Commissioner (MSME) will provide secretariat support to this Committee.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

Sd-

(Praveen Mahto)

Additional Economic Adviser

Ph: 23062230, Fax 23061611

APPENDIX

LIST OF ITEMS RESERVED FOR PURCHASE FROM SMALL SCALE INDUSTRIAL UNITS INCLUDING HANDICRAFT SECTOR

Sl No. Item Description

1. AAC/and ACSR Conductor upto 19 strands
2. Agricultural Implements
 (a) Hand Operated tools and implements
 (b) Animal driven implements
3. Air/Room Coolers
4. Aluminum builder's hardware
5. Ambulance stretcher
6. Ammeters/ohm meter/Volt meter (Electro magnetic upto Class I accuracy)
7. Anklets Web Khaki
8. Augur (Carpenters)
9. Automobile Head lights Assembly
10. Badges cloth embroidered and metals
11. Bags of all types i.e. made of leather, cotton, canvas and jute etc. including kit bags, mail bags, sleeping bags and water-proof bag.
12. Bandage cloth
13. Barbed Wire
14. Basket cane (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)
15. Bath tubs
16. Battery Charger
17. Battery Eliminator
18. Beam Scales (upto 1.5 tons)
19. Belt leather and straps
20. Bench Vices
21. Bituminous Paints
22. Blotting Paper

IndiaCode

23. Bolts and Nuts
24. Bolts Sliding
25. Bone Meal
26. Boot Polish
27. Boots and Shoes of all types including canvas shoes
28. Bowls
29. Boxes Leather
30. Boxes made of metal
31. Braces
32. Brackets other than those used in Railways
33. Brass Wire
34. Brief Cases (other than moulded luggage)
35. Brooms
36. Brushes of all types
37. Buckets of all types
38. Button of all types
39. Candle Wax Carriage
40. Cane Valves/stock valves (for water fittings only)
41. Cans metallic (for milk and measuring)
42. Canvas Products :
 (a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS - 1422/70
 (b) Bonnet Covers and Radiators Muff. to spec. Drg. Lv 7/NSN/IA/130295
43. Capes Cotton and Woollen
44. Capes Waterproof
45. Castor Oil
46. Ceiling roses upto 15 amps
47. Centrifugal steel plate blowers
48. Centrifugal Pumps suction and delivery 150 mm. x 150 mm
49. Chaff Cutter Blade
50. Chains lashing
51. Chappals and sandals
52. Chamois Leather
53. Chokes for light fitting
54. Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffalo and Cow)
55. Circlips
56. Claw Bars and Wires
57. Cleaning Powder
58. Clinical Thermometers
59. Cloth Covers
60. Cloth Jaconet
61. Cloth Sponge
62. Coir fibre and Coir yarn
63. Coir mattress cushions and matting
64. Coir Rope hawserlaid
65. Community Radio Receivers
66. Conduit pipes
67. Copper nail
68. Copper Napthenate
69. Copper sulphate
70. Cord Twine Maker
71. Cordage Others
72. Corrugated Paper Board and Boxes
73. Cotton Absorbent
74. Cotton Belts
75. Cotton Carriers
76. Cotton Cases
77. Cotton Cord Twine
78. Cotton Hosiery
79. Cotton Packs
80. Cotton Pouches
81. Cotton Ropes
82. Cotton Singlets
83. Cotton Sling
84. Cotton Straps
85. Cotton tapes and laces
86. Cotton Wool (Non absorbent)
87. Crates Wooden and plastic
88. (a) Crucibles upto No. 200
 (b) Crucibles Graphite upto No. 500
 (c) Other Crucibles upto 30 kgs.
89. Cumblies and blankets
90. Curtains mosquito
91. Cutters
92. Dibutyl phthalate
93. Diesel engines upto 15 H.P
94. Dimethyl Phthalate
95. Disinfectant Fluids
96. Distribution Board upto 15 amps
97. Domestic Electric appliances as per BIS Specifications :-

- Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer, Grinders, Room heaters and convectors and ovens

98. Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminum) Conforming to the prescribed BIS Specifications and upto 10.00 mm sq. nominal cross section
99. Drawing and Mathematical Instruments

IndiaCode

100. Drums and Barrels
101. Dust Bins
102. Dust Shield leather
103. Dusters Cotton all types except the items required in Khadi
104. Dyes :
(a) Azo Dyes (Direct and Acid)
(b) Basic Dyes
105. Electric Call bells/buzzers/door bells
106. Electric Soldering Iron
107. Electric Transmission Line Hardware items like steel cross bars, cross arms clamps arching horn, brackets, etc
108. Electronic door bell
109. Emergency Light (Rechargeable type)
110. Enamel Wares and Enamel Utensils
111. Equipment camouflage Bamboo support
112. Exhaust Muffler
113. Expanded Metal
114. Eyelets
115. Film Polythene - including wide width film
116. Film spools and cans
117. Fire Extinguishers (wall type)
118. Foot Powder
119. French polish
120. Funnels
121. Fuse Cut outs
122. Fuse Unit
123. Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories)
124. Gas mantels
125. Gauze cloth
126. Gauze surgical all types
127. Ghamellas (Tasllas)
128. Glass Ampules
129. Glass and Pressed Wares
130. Glue
131. Grease Nipples and Grease guns
132. Gun cases
133. Gun Metal Bushes
134. Gumtape
135. Hand drawn carts of all types
136. Hand gloves of all types
137. Hand Lamps Railways
138. Hand numbering machine
139. Hand pounded Rice (polished and unpolished)
140. Hand presses
141. Hand Pump
142. Hand Tools of all types
143. Handles wooden and bamboo (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicrafts Corporation)
144. Harness Leather
145. Hasps and Staples
146. Haver Sacks
147. Helmet Non-Metallic
148. Hide and country leather of all types
149. Hinges
150. Hob nails
151. Holdall
152. Honey
153. Horse and Mule Shoes
154. Hydraulic Jacks below 30 ton capacity
155. Insecticides Dust and Sprayers (Manual only)
156. Invalid wheeled chairs.
157. Invertor domestic type upto 5 KVA
158. Iron (dhobi)
159. Key board wooden
160. Kit Boxes
161. Kodali
162. Lace leather
163. Lamp holders
164. Lamp signal
165. Lanterns Posts and bodies
166. Lanyard
167. Latex foam sponge
168. Lathies
169. Letter Boxes
170. Lighting Arresters - upto 22 kv
171. Link Clip
172. Linseed Oil
173. Lint Plain
174. Lockers
175. Lubricators
176. L.T. Porcelain KITKAT and Fuse Grips
177. Machine Screws
178. Magnesium Sulphate
179. Mallet Wooden
180. Manhole covers
181. Measuring Tapes and Sticks

IndiaCode

182. Metal clad switches (upto 30 Amps)
183. Metal Polish
184. Metallic containers and drums other than N.E.C. (Not elsewhere classified)
185. Metric weights
186. Microscope for normal medical use
187. Miniature bulbs (for torches only)
188. M.S. Tie Bars
189. Nail Cutters
190. Naphthalene Balls
191. Newar
192. Nickel Sulphate
193. Nylon Stocking
194. Nylon Tapes and Laces
195. Oil Bound Distemper
196. Oil Stoves (Wick stoves only)
197. Pad locks of all types
198. Paint remover
199. Palma Rosa Oil
200. Palmgur
201. Pans Lavatory Flush
202. Paper conversion products- paper bags, envelops, Ice-cream cup, paper cup and saucers and paper Plates
203. Paper Tapes (Gummed)
204. Pappads
205. Pickles and Chutney
206. Piles fabric
207. Pillows
208. Plaster of Paris
209. Plastic Blow Moulded Containers upto 20 litre excluding Poly Ethylene Terphthalate (PET) Containers
210. Plastic cane
211. Playing Cards
212. Plugs and Sockets electric upto 15 Amp
213. Polythene bags
214. Polythene Pipes
215. Post Picket (Wooden)
216. Postal Lead seals
217. Potassium Nitrate
218. Pouches
219. Pressure Die Casting upto 0.75 kg
220. Privy Pans
221. Pulley Wire
222. PVC footwears
223. PVC pipes upto 110 mm
224. PVC Insulated Aluminium Cables (upto 120 sq. mm) (ISS:694)
225. Quilts, Razais
226. Rags
227. Railway Carriage light fittings
228. Rakes Ballast
229. Razors
230. RCC Pipes upto 1200 mm. dia
231. RCC Poles Prestressed
232. Rivets of all types
233. Rolling Shutters
234. Roof light Fittings
235. Rubber Balloons
236. Rubber Cord
237. Rubber Hoses (Unbranded)
238. Rubber Tubing (Excluding braided tubing)
239. Rubberised Garments Cap and Caps etc
240. Rust/Scale Removing composition
241. Safe meat and milk
242. Safety matches
243. Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.)
244. Sanitary Plumbing fittings
245. Sanitary Towels
246. Scientific Laboratory glass wares (Barring sophisticated items)
247. Scissors cutting (ordinary)
248. Screws of all types including High Tensile
249. Sheep skin all types
250. Shellac
251. Shoe laces
252. Shovels
253. Sign Boards painted
254. Silk ribbon
255. Silk Webbing
256. Skiboots and shoes
257. Sluice Valves
258. Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones)
259. Soap Carbolic
260. Soap Curd
261. Soap Liquid
262. Soap Soft
263. Soap washing or laundary soap
264. Soap Yellow
265. Socket/pipes

266. Sodium Nitrate
267. Sodium Silicate
268. Sole leather
269. Spectacle frames
270. Spiked boot
271. Sports shoes made out of leather (for all Sports games)
272. Squirrel Cage Induction Motors upto and including 100 KW440 volts 3 phase
273. Stapling machine
274. Steel Almirah
275. Steel beds stead
276. Steel Chair
277. Steel desks
278. Steel racks/shelf
279. Steel stools
280. Steel trunks
281. Steel wool
282 Steel and aluminium windows and ventilators
283 Stockinet
284 Stone and stone quarry rollers
285 Stoneware jars
286 Stranded Wire
287 Street light fittings
288. Student Microscope
289. Studs (excluding high tensile)
290. Surgical Gloves (Except Plastic)
291. Table knives (Excluding Cutlery)
292. Tack Metallic
293. Taps
294. Tarpaulins
295. Teak fabricated round blocks
296. Tent Poles
297. Tentage Civil/Military and Salitah Jute for Tentage
298. Textiles manufactures other than N.E.C. (not elsewhere classified)
299. Tiles
300. Tin Boxes for postage stamp
301. Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (other than can O.T.S.)
302. Tin Mess
303. Tip Boots
304. Toggle Switches
305. Toilet Rolls
306. Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 (upto 600 amps)
307. Transistor Radio upto 3 band
308. Transistorised Insulation - Testers
309. Trays
310. Trays for postal use
311. Trolley
312. Trollies - drinking water
313. Tubular Poles
314. Tyres and Tubes (Cycles)
315. Umbrellas
316. Utensils all types
317. Valves Metallic
318. Varnish Black Japan
319. Voltage Stablisers including C.V.T's
320. Washers all types
321. Water Proof Covers
322. Water Proof paper
323. Water tanks upto 15,000 litres capacity
324. Wax sealing
325. Waxed paper
326. Weighing Scale
327. Welded Wiremash
328. Wheel barrows
329. Whistle
330. Wicks cotton
331. Wing Shield Wipers (Arms and Blades only)
332. Wire brushes and Fibre Brushes
333. Wire Fencing and Fittings
334. Wire nails and Horse shoe nails
335. Wire nettings of gauze thicker than 100 mesh size
336. Wood Wool
337. Wooden ammunition boxes
338. Wooden Boards
339. Wooden Box for Stamps
340. Wooden Boxes and Cases N.E.C. (Not elsewhere classified)
341. Wooden Chairs
342. Wooden Flush Door Shutters
343. Wooden packing cases all sizes
344. Wooden pins
345. Wooden plugs
346. Wooden shelves
347. Wooden veneers
348. Woollen hosiery
349. Zinc Sulphate
350. Zip Fasteners

IndiaCode

HANDICRAFT ITEMS

Sl.No.	Item Description	Source of Supply
351	Cane furniture Handlooms	North Eastern Handicrafts and Development Corporation Assam Govt. Marketing Corpn. Craft Society of Manipur Nagaland Handicrafts and Handlooms Development Corpn.
352.	Bamboo file tray, Baskets, Pencil stand, side racks etc.	-do-
353.	Artistic Wooden Furniture	Rajasthan Small Industries Corpn., U.P. Export Corporation.
354.	Wooden paper weight, racks etc.	-do-
355.	Glass covers made and grass jute of wood	-do-
356.	Jute furniture	West Bengal Handicrafts Dev.Corpn. Jute Mfg. Development Corporation Orissa State Handicrafts Dev.Corpn.
357.	Jute bags, file cover	-do-
358.	Woolen and silk carpets	U.P. Export Corporation JandK Sale and Export Corporation

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.